

[2023] 2 एस.सी.आर. 543

सुरेश कुमार ललित कुमार पटेल एवं अन्य

बनाम

गुजरात राज्य और अन्य

(सिविल अपील संख्या- 1355-1356/2023)

20 फरवरी, 2023

[संजीव खन्ना और एम.एम. सुंदरेश, जे.जे.]

सेवा कानून - चयन प्रक्रिया में संशोधन - समावेशन और क्षैतिज आरक्षण की सुविधा के लिए अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित न्यूनतम अंक परिणाम प्रकाशित होने के बाद कम कर दिए गए- अनुमेयता- अभिनिर्धारित किया गया : एक अधिसूचना के अनुसार बनाया गया एक विज्ञापन पक्षकारों को बाध्य करता है - इसमें वैधानिक निर्धारण के सभी गुण मौजूद होते हैं, जब तक कि यह किसी नियम या अधिनियम के विपरीत न हो - परिवर्तन, यदि कोई हो, तो केवल एक संशोधन द्वारा लाया जा सकता है और इसके अलावे कुछ नहीं किया जा सकता है - ऐसा संशोधन भले ही अनुमान्य हो, परंतु इसे अनुच्छेद 14 की कसौटी पर परखा जा सकता है - इसे विशेष आरक्षण में प्रवेश देने के लिए प्रस्तुत नहीं किया जा सकता , ऐसे मामले में जहां किसी अभ्यर्थी को किसी नीतिगत निर्णय के तहत विज्ञापन की शर्तों में कमी के कारण अधिकार प्राप्त हो जाता है , वहाँ क्षैतिज श्रेणी से किसी भी योग्य उम्मीदवार की अनुपस्थिति में किसी पद के लिए विचार किया जाएगा - वर्तमान मामले में, चयन समिति ने क्षैतिज आरक्षण की सुविधा के लिए इसे ऊर्ध्वाधर आरक्षण मानकर अंक कम कर दिये - नियमों में इसका प्रावधान नहीं रहने के कारण इस तरह के आरक्षण को ऊर्ध्वाधर आरक्षण माना जाएगा - स्वीकारात्मक रूप से अपीलकर्ता जारी विज्ञापन के अनुसार संबंधित पद पाने के हकदार हैं- इसके अलावा, किसी विशेष श्रेणी के लिए न्यूनतम अंक निर्धारित करने के पीछे क्या औचित्य है - इसे केवल विशेष वर्ग को रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य के लिए कम किया गया है जबकि दूसरों ने पहले ही कुछ अधिकार हासिल कर लिया है , यह अनुच्छेद 14 के परिपेक्ष्य में उनका

अपमान होगा- इसके अलावा, विज्ञापन में ऐसा कोई प्रासंगिक खंड नहीं है जो या तो राज्य सरकार को बेलगाम शक्ति प्रदान करें या चयन समिति को चयन प्रक्रिया में संशोधन करने और परिणाम प्रकाशित होने के बाद निर्धारित न्यूनतम अंक कम करने का प्रावधान करता हो - खंडपीठ का आदेश अपास्त- यद्यपि कि, तथ्यों के अनुसार, निजी प्रतिवादियों से संबंधित विशेष श्रेणी में महिलाएं, पूर्व सैनिक और शारीरिक रूप से विकलांग शामिल हैं, उनके संबंध में निर्देश जारी कर उन्हें समायोजित करने पर विचार करने के लिए कहा गया है, बशर्ते उनकी नियुक्ति अनुमेय बनाये गये संबंधित आरक्षित श्रेणी के प्रतिशत से अधिक न हों और बिना हेरफेर किए अपीलकर्ताओं तथा समान रूप से रखे गए अन्य लोगों की नियुक्ति और उनकी पात्रता के अधीन हो - भारतीय संविधान - अनुच्छेद 14, 142 ।

कोर्ट ने अपील स्वीकार करते हुए,

अभिनिर्धारित किया कि: 1.1 यह न्यायालय उस भर्ती प्रक्रिया के मामले को देख रहा है, जहां प्रत्येक अलग-अलग श्रेणियों से संबंधित पद केवल एक ही माध्यम से भरा जाना है, अर्थात् लिखित परीक्षा । न्यूनतम अंक एक स्पष्ट स्पष्टीकरण के साथ तय किए गए हैं और किसी को भी सम्मिलित करने की सुविधा देकर इसमें छेड़छाड़ नहीं की जाएगी, यदि किसी अभ्यर्थी को कम अंक प्राप्त हुए हैं। यहाँ आवेदन करने की योग्यता और पात्रता के बीच चयन की प्रक्रिया निर्धारित किए जाने में एक अंतर है । वर्तमान मामले का संबंध परीक्षा आयोजित होने के बाद पात्रता को लेकर है । चयन समिति ने क्षैतिज आरक्षण को ऊर्ध्वाधर आरक्षण मानकर सुविधा के लिए अंक कम कर दिए। बेशक, नियम ऐसे आरक्षण का प्रावधान नहीं करते जिसे ऊर्ध्वाधर आरक्षण के रूप में माना जाय । इसी तरह, नियम कोई कटऑफ तय नहीं करते । एक विज्ञापन, जो अधिसूचना के अनुसार जारी किया गया है पक्षकारों को बाध्य बनाता है । इसमें वैधानिक निर्धारण के सभी गुण मौजूद होते हैं, जब तक कि यह किसी नियम या अधिनियम के विपरीत न हो । कोई परिवर्तन, यदि कोई हो, तो केवल एक संशोधन द्वारा लाया जा सकता है और इसके अलावे कुछ नहीं किया जा सकता है । ऐसा संशोधन भले ही अनुमान्य हो, परंतु इसे अनुच्छेद 14 की कसौटी पर परखा जा सकता है । इसे विशेष आरक्षण में प्रवेश देने के लिए प्रस्तुत नहीं किया जा सकता । ऐसे मामले में जहां किसी अभ्यर्थी को किसी नीतिगत निर्णय के तहत विज्ञापन की शर्तों में कमी के कारण अधिकार प्राप्त हो

जाता है, वहाँ क्षैतिज श्रेणी से किसी भी योग्य उम्मीदवार की अनुपस्थिति में किसी पद के लिए विचार किया जा सकता है। यह सत्य है कि एक अभ्यर्थी के पास पद पर अंतर्निहित अधिकार नहीं हो सकता है यद्यपि कि कानूनन इसे सम्मिलित किए जाने के अधिकार के साथ भ्रमित नहीं किया जा सकता। ऐसा कानून जो किसी उम्मीदवार को पद पाने के लिए सक्षम बनाता हो, वह किस अन्य समूह के व्यक्तियों की सुविधा के लिए परिवर्तित नहीं किया जा सकता, क्योंकि अभ्यर्थी कानून के अनुसार विचार किये जाने के लिए निहित अधिकार रखता है।

[पैरा 22-24] [552-डी-एच; 553-ए-बी]

1.2 स्वीकारात्मक रूप से, मौजूदा मामले में, अपीलकर्ता जारी किया गए विज्ञापन के अनुसार संबंधित पद पाने के हकदार हैं। उक्त विज्ञापन में संशोधन नहीं किया गया है। ऐसा लगता है इसे सरकार की सलाह पर संशोधित किया गया था। विशेष समूह के लिए निर्धारित किए गए न्यूनतम अंक के पीछे एक उद्देश्य है। इसे केवल एक विशेष श्रेणी को रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कम किया जा रहा है, जबकि दूसरों ने पहले ही कुछ अधिकार हासिल कर लिया है, यह अनुच्छेद 14 के परिपेक्ष्य में उन सभी का अपमान होगा। विज्ञापन में ऐसा कोई प्रासंगिक खंड नहीं हैं जो या तो राज्य सरकार को बेलगाम शक्ति प्रदान करे या चयन समिति को चयन प्रक्रिया में संशोधन करने और परिणाम प्रकाशित होने के बाद निर्धारित न्यूनतम अंक कम करने का प्रावधान करे। [पारा 25, 26] [554-सी-ई]

1.3 कट-ऑफ अंक कम करने का निर्णय वैकल्पिक मानदंडों पर आधारित नहीं है, अर्थात् पद के लिए उम्मीदवार की उपयुक्तता पर है, लेकिन केवल बाहरी कारणों से, यानि अयोग्य उम्मीदवार को अन्यथा समायोजित करने के लिए है। पूर्व में, कट-ऑफ अंक आवश्यक अंकों पर सम्यक विचार के पश्चात पद की योग्यतानुसार तय किए गए थे, जिसे तब तक कम नहीं किया जा सकता था, जब तक कि किसी विशेष कारणों से कम किये गये अंक भी उस पद की उपयुक्तता के लिए पर्याप्त हों। अतः कानून की नजर में गुजरात उच्च न्यायालय के खंडपीठ का आदेश पोषणीय नहीं हो सकता, यह न्यायालय अनुच्छेद 142 के तहत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करके साम्यता और न्याय को संतुलित करने के लिए इच्छुक है। इस निर्णय के पीछे का उद्देश्य निजी प्रतिवादियों के विशेष वर्ग जिनमें महिलाएँ, भूतपूर्व सैनिक और शारीरिक रूप से विकलांग भी शामिल हैं, के लिए प्रशंसनीय है। वे आशा के साथ लंबे अरसे से अपनी नियुक्तियों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। खंडपीठ का आदेश उनके लाभ के लिए था जो राज्य सरकार और चयन समिति के नीतिगत

निर्णय कारण हुआ था। ऐसे में मामले को देखते हुए इस बारे में संज्ञान लिया जा गया है, विशेषतः इस निर्णय के आलोक में जो कि प्रतिवादी संख्या 1 एवं 2 द्वारा इस स्थिति को सामने लाया गया है तथा जो रिक्तियां अभी भी शेष हैं उनके संबंध में निर्देश जारी कर उन्हें समायोजित करने पर विचार करने के लिए कहा गया है, बशर्ते उनकी नियुक्ति अनुमेय बनाये गये संबंधित आरक्षित श्रेणी के प्रतिशत से अधिक न हों और बिना हेरफेर किए अपीलकर्ताओं तथा समान रूप से रखे गए अन्य लोगों की नियुक्ति और उनकी पात्रता के अधीन हो। [पैरा 30-32] [558-डी-एफ, एच 559-ए-बी]

एन.टी. डेविन कट्टी बनाम कर्नाटक लोक सेवा आयोग (1990) 3 एस.सी.सी. 157; तमिलनाडु कंप्यूटर विज्ञान बी.एड. स्नातक शिक्षक कल्याण सोसायटी (1) व. उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कंप्यूटर शिक्षकगण एसोसिएशन एवं अन्य (2009) 14 एस.सी.सी. 517 : [2009] 10 एस.सी.आर. 522 - पर निर्भर।

तेज प्रकाश पाठक एवं अन्य बनाम राजस्थान उच्च न्यायालय और अन्य (2013) 4 एस.सी.सी. 540; वीरेंद्र कुमार गौतम एवं अन्य बनाम करुणा निधान उपाध्याय एवं अन्य (2016) 14 एस.सी.सी. 18: [2016] 7 एस.सी.आर. 223; अनुपाल सिंह एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य (2020) 2 एस.सी.सी. 173 : [2019] 12 एस.सी.आर. 1071; अशोक कुमार ठाकुर बनाम भारत संघ और अन्य (2008) 6 एस.सी.सी. 1: [2008] 4 एस.सी.आर. 1; के० मंजुश्री बनाम आंध्र प्रदेश राज्य और अन्य (2008) 3 एस.सी.सी. 512 : [2008] 2 एस.सी.आर. 1025; रामजीत सिंह कर्दम बनाम संजीव कुमा (2020) 20 एस.सी.सी. 209 - संदर्भित।

प्रजापति ईश्वरभाई जोड़ताराम बनाम गुजरात राज्य, लेटेर्स पेटेंट अपील संख्या 1350/2012 दिनांक 20.03.2013 - संदर्भित।

संदर्भित केस कानून

[2016] 7 एस.सी.आर. 223	संदर्भित करता है	पैरा 19
[2019] 12 एस.सी.आर. 1071	संदर्भित करता है	पैरा 19
[2008] 4 एस.सी.आर. 1	संदर्भित करता है	पैरा 19
[2009] 10 एस.सी.आर. 522	निर्भर था	पैरा 27
[2008] 2 एस.सी.आर. 1025	संदर्भित करता है	पैरा 29

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 1355-1356/2023
गुजरात उच्च न्यायालय, अहमदाबाद के निर्णय एवं आदेश दिनांक
18.01.2021 से

एलपीए नंबर 1496 और 1501/2019 में।

साथ

सिविल अपील संख्या 1357-1358/2023 ।

परमजीत एस. पटवालिया , वरिष्ठ अधिवक्ता , समीर पारेख , सुश्री तान्या चौधरी, सुश्री प्रत्युषा प्रियदर्शनी , हेमांग शाह , प्रतीक खंडेलवाल , मेसर्स पारेख एंड कंपनी अपीलकर्ताओं की ओर से अधिवक्तागण ।

विकास सिंह, वरिष्ठ अधिवक्तागण, पूर्वश जितेंद्र मलकान , राजीव कुमार, कृष्णा एम. सिंह , मीनेश दुबे , सुश्री अर्चना पाठक दवे , सुश्री दीपन्विता प्रियंका , प्रतिवादियों की ओर से अधिवक्तागण ।

न्यायालय का निर्णय सुनाया गया

एम.एम. सुंदरेश, जे.

1. अनुतोष स्वीकृत । पक्षकार बनाने के लिए आवेदनों को स्वीकृत किया जाता है।
2. गुजरात उच्च न्यायालय के खंडपीठ के द्वारा दिये गए फैसले जिसके माध्यम से पर्यवेक्षक अनुदेशक तृतीय श्रेणी के पद हेतु विभागीय चयन समिति के द्वारा परिणाम प्रकाशित होने के बाद क्षैतिज आरक्षण वाले अभ्यर्थियों और समावेशन की सुविधा के लिए अर्हता अंक कम करने के निर्णय पर अपनी मुहर लगायी गयी थी, को इस सिविल अपीलों के माध्यम से चुनौती दी गयी है ।

3. अपीलकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री पी.एस. पटवालिया, प्रतिवादी संख्या 1 और 2 की ओर से विद्वान अधिवक्ता सुश्री अर्चना दवे पाठक, और निजी उत्तरदाताओं की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री विकास सिंह को सुना ।

संक्षेप में तथ्य:

4. पर्यवेक्षक प्रशिक्षक (इंजीनियरिंग ट्रेड और गैर-इंजीनियरिंग ट्रेड) पद के लिए और पर्यवेक्षक प्रशिक्षक (रोजगार कौशल) को भरने हेतु दिनांक 05.09.2015 को दो विज्ञापन जारी किये गये । उपरोक्त दोनों पदों की श्रेणियों की शैक्षिक योग्यता के लिए समान पात्रता मानदंड आवश्यक संबंधित डिग्री के अंतर के साथ रखे गए थे जिसमें कुल मिलाकर 13 उप-श्रेणियाँ, जैसे ऑटोमोबाइल, रासायनिक, विद्युत, यांत्रिक, सामुद्रिक इत्यादि थे ।

5. विज्ञापन जारी होने के पूर्व विभागीय चयन समिति (संक्षेप में 'चयन समिति') द्वारा 03.09.2015 को भर्ती करने हेतु तय की जाने वाली प्रक्रिया का समाधान किया गया । तदनुसार, कुल 300 अंकों में से, कट-ऑफ 60% जो 180 अंक के बराबर थे, सामान्य वर्ग के लिए, सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ा वर्ग के लिए 57% जो 171 अंकों के बराबर थे और अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए 55% जो 165 अंक के बराबर थे ; निर्धारित किए गए थे. यह निर्धारित किया गया था कि कट-ऑफ अंक से कम अंक प्राप्त करने वाला कोई भी उम्मीदवार चयन और नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे ।

6. विज्ञापन का उपवाक्य (1) स्पष्ट शब्दों में बताता है क्षैतिज आरक्षण महिलाओं, पूर्व सैनिकों और शारीरिक रूप से विकलांगों के लिए है. हम पूर्वोक्त खंड को पुनः देखेंगे :

“(1)...

* महिलाओं के लिए पद 33% आरक्षित हैं जो उनकी संबंधित श्रेणियों के विरुद्ध निर्धारित किया जाएगा । यदि आरक्षित पद के लिए कोई उपयुक्त उम्मीदवार उपलब्ध नहीं है तो उक्त पद उसी श्रेणी के पुरुष उम्मीदवार द्वारा भरा जाएगा ।

* कुल पदों का 10% पद भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित हैं । इसे संबंधित श्रेणी के साथ समायोजित माना जाएगा । यदि कोई उपयुक्त भूतपूर्व सैनिक उम्मीदवार उपलब्ध नहीं है तो, उक्त पद संबंधित श्रेणी के अन्य उपयुक्त उम्मीदवार द्वारा भरा जाएगा ।

*शारीरिक रूप से दिव्यांगों की नियुक्ति जो शारीरिक रूप से 40 % से 4 % तक विकलांग हैं , शासन के नियमानुसार उपरोक्त पद में से 3% पद रखे जाएंगे। सबसे उपयुक्त विकलांग उम्मीदवार का चयन इस बात को ध्यान में रखकर चयन किया जाएगा कि, आइ.टी.आइ. में शैक्षणिक कार्य के लिए विकलांगता आड़े नहीं आ रही हो, यदि कोई उपयुक्त शारीरिक रूप से दिव्यांग उम्मीदवार उपलब्ध नहीं है तो, उक्त पद संबंधित श्रेणी के अन्य उपयुक्त उम्मीदवार द्वारा भरा जाएगा।”

7. इस प्रकार, उपरोक्त तीनों के लिए विशेष आरक्षण किया गया था। पूरी तरह से स्पष्ट है कि प्रत्येक उपश्रेणी में अपर्याप्त उम्मीदवारों की स्थिति में, खाली सीटें अन्य योग्य उम्मीदवारों से भरी जाएंगी।

8. चयन समिति द्वारा पुनः एक बार विज्ञापन के खंड (5) के संबंध में लिए गए निर्णय को दोहराया गया है जो चयन प्रक्रिया से संबंधित है।

“(5)...इसका मतलब यह कि, कुल 300 अंकों में से, सामान्य वर्ग के लिए कट-ऑफ अंक 60% यानि 180 अंक के होंगे, इससे कम अंक पाने वाले अभ्यर्थी नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे। सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग के उम्मीदवार के लिए ये अंक 57% (171) जबकि अनुसूची के जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी के लिए 55% (165) अंक होंगे। इससे कम अंक पाने वाले अभ्यर्थी नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे ...”

9. खण्ड (7) का उपखण्ड (15) (सामान्य निर्देश) चयन समिति को किसी भी आवश्यकता की स्थिति में संपूर्ण विज्ञापन रद्द करने का अधिकार देता है या, वैकल्पिक रूप से, उचित संशोधन करने कि शक्ति देता है। आगे, यह किसी भी समय मूल रूप से घोषित पदों की संख्या में कमी करने या बढ़ाने की सुविधा प्रदान करता है। उपरोक्त परिस्थितियों में, उम्मीदवार किसी भी तरह की शुल्क वापसी का हकदार नहीं होगा।

“(15) यदि इस विज्ञापन को रद्द करने या उसमें संशोधन करने, पदों की संख्या में वृद्धि या कमी करने की कोई आवश्यकता उत्पन्न होती है, तो विभाग को ऐसा करने का पूरा अधिकार/प्राधिकार होगा, और, इस हेतु वह कारण बताने के लिए बाध्य नहीं होगा। इसके अलावा, ऐसी परिस्थितियों में, आवेदन करने में खर्च हुये परीक्षा शुल्क को वापस नहीं किया जाएगा।”

10. खंड (7) का उप-खंड (19) जो इस भर्ती प्रक्रिया से संबंधित है तथा जो चयन समिति को भर्ती प्रक्रिया के संबंध में उप-खंड (15) के अंतर्गत शक्ति प्रदान करती है।

“(19)...इस पद की भर्ती प्रक्रिया के संबंध में, यदि इस विज्ञापन को रद्द करने की या कोई अन्य निर्देश देने या उसमें संशोधन करने की कोई आवश्यकता उत्पन्न होती है तो, चयन समिति को इस संबंध में पूर्ण अधिकार/प्राधिकार प्राप्त होगा, और, इस हेतु चयन समिति कारण बताने के लिए बाध्य नहीं होगी ...”

11. दिनांक 05.09.2015 का विज्ञापन जो संलग्नक (1) के तौर पर उपलब्ध है उसका खण्ड (1) पद के संबंध में स्थिति को पूर्णतः स्पष्ट करते हुए दोहराता है कि जहां क्षैतिज आरक्षण के तहत आरक्षित अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं है वहाँ ये पद किसी अन्य योग्य उम्मीदवार द्वारा भरा जायेगा ।

12. उपरोक्त विज्ञापन किसी अन्य बात के लिए अन्यथा कोई निर्वचन नहीं करता है । इस प्रकार यह उस तरीके के बारे में बताता है जिसके द्वारा एक पद को भरा जाएगा, जिसमें विशेष आरक्षण के लिए क्षैतिज आरक्षण शामिल होगा । सीटें कम करने के मामले के सिवाय विज्ञापन रद्द करने या संशोधन करने की शक्ति का प्रयोग विज्ञापन में संशोधन के माध्यम से किया जाएगा । आगे, इस शक्ति का प्रयोग या तो प्रारंभिक चरण में, अर्थात् लिखित परीक्षा से पहले या प्रक्रिया के दौरान होगा, और इस प्रकार परिणाम का प्रकाशन समापन का संकेत होगा और, इसलिए, चयनित उम्मीदवार की घोषणा केवल परिणामी होगी ।

13. केवल क्षैतिज आरक्षित श्रेणियों से संबंधित उम्मीदवारों के लिए निर्धारित कट-ऑफ अंकों में ढील देने के प्रस्ताव पर दिनांक 05.10.2016 को चयन समिति की बैठक की गयी । तदनुसार, कट-ऑफ अंक सामान्य वर्ग के लिए बरकरार रखे गए । इसके बाद, एक अगली बैठक 17.12.2016 को आयोजित की गई जिसमें पूर्व में 05.10.2016 को लिए गए निर्णय को लागू किये जाने का प्रस्ताव निरस्त कर दिया गया। बैठक में चयन समिति के सभी सदस्यों ने भाग लिया ।

14. राज्य सरकार ने क्षैतिज आरक्षण होने के बावजूद विशेष आरक्षण को प्रभावी बनाने लिए निर्णय लिया । जाहिर तौर पर, उपरोक्त निर्णय में, उम्मीदवारों के प्रतिशतता के अनुरूप अपेक्षित पद को भरने की अपेक्षा की गई थी परंतु यह आरक्षण के अनुसार अपर्याप्त थी । राज्य सरकार के निर्णय को 26.12.2016 को आयोजित चयन समिति की बैठक में संज्ञान में लिया गया और शामिल किया गया।

“...05.10.2016 को आयोजित चयन समिति की बैठक में, अंकों की उपरोक्त कटौती को 10% तक कम करने का निर्णय लिया गया और बाद में भी, जब महिलाओं और विशेष रूप से असक्षम लोगों के लिए पद रिक्त रह गए, इस प्रकार दिनांक 17.10.2016 को आयोजित बैठक में प्रावधान से छूट देते हुए एवं उसको निरस्त करते हुए 1415 पर्यवेक्षक प्रशिक्षक के पदों पर भर्ती करने एवं उनकी अंतिम चयन सूची प्रकाशित करने का निर्णय लिया गया। इस संबंध में गुजरात सरकार से प्राप्त निर्देश के आलोक में कट-आफ अंक (न्यूनतम निर्धारित अंक) सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 40% निर्धारित करने का निर्णय लिया गया और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए एवं अन्य आरक्षित वर्ग के लिए 35% अंक पर्यवेक्षक प्रशिक्षक के कुल 1415 पदों को भरने के लिए निर्धारित किया गया।”

15. उपरोक्त निर्णय विशेष आरक्षण को प्रावधानित करने के लिए किया गया जो अन्यथा ऊर्ध्वाधर आरक्षण के रूप में क्षैतिज था। परिणामस्वरूप, विज्ञापन में निहित खंड, जैसा कि चयन समिति के संकल्प दिनांक 03.09.2015 द्वारा निर्णय लिया गया था, उस प्रावधान को जो किसी विशेष श्रेणी के लिए निर्धारित पद न भरने के परिणाम के बाद के लिए लिया गया था; उसे अन्य योग्य अभ्यर्थियों से भरे जाने के शर्त के बिना ही, बगैर कोई संशोधन लाये पलट दिया गया यहां तक इसे परिणाम की घोषणा के बाद लाया गया।

16. पीड़ित अपीलार्थीगण ने पद पर सुरक्षित चयन के लिए उच्च न्यायालय की ओर रुख किया। विद्वान एकल न्यायाधीश ने दायर रिट याचिकाओं को गुणागुण के आधार पर अनुमति दे दी।

17. राज्य और आधिकारिक उत्तरदाताओं ने निर्णय को चुनौती देना नहीं चुना जो कि खंडपीठ ने वास्तव में तात्कालिक आधार पर इससे पहले फैसला सुनाया था, बल्कि उस फैसले को प्रभाव में लाने का फैसला किया था। हालाँकि, कुछ व्यक्ति जो विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेश से प्रभावित थे और चयन समिति के दिनांक 26.12.2016 के निर्णय द्वारा तदनुसार जिन्होंने सुरक्षित चयन का लाभ लिया था और जिनका चयन किया गया था उन्होंने डिवीजन बेंच के समक्ष अपील दायर किया था। अपीलें इस आधार पर स्वीकार कर ली गईं कि मूल याचिकाकर्ताओं के पास कोई निहित अधिकार नहीं था, बल्कि चयन समिति के पास पर्याप्त शक्ति उपलब्ध थी, और खेल शुरू होने के बाद नियम में कोई बदलाव नहीं किया गया था।

18. वर्तमान अपीलों में, केवल निजी उत्तरदाता ने ही डिविजन बेंच के समक्ष मामले में प्रतिरोध किया , जबकि कई अन्य ने विद्वान एकल न्यायाधीश के फैसले का विरोध करना नहीं चुना, ऐसा किस कारण से किया गया वही बता सकते हैं । विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेश का वास्तव आधिकारिक उत्तरदाताओं द्वारा ही प्रभाव दिया गया है, और इसलिए, वे वास्तव में पिछले कुछ वर्षों से सेवा में हैं। उपरोक्त पृष्ठभूमि के साथ, हम संबंधित तर्कों पर विचार करेंगे।

प्रस्तुतियाँ /निवेदन :

19. अपीलकर्ताओं की ओर से श्री पी.एस. पटवालिया , वरिष्ठ अधिवक्ता उपस्थित हुए और उन्होंने कहा कि चयन समिति के पास कट-ऑफ अंक कम करने के लिए कोई शक्ति नहीं थी । प्रतिवादी संख्या 1 और 2 को खेल शुरू होने के बाद खेल के नियमों को बदलने की अनुमति दी गयी । यह ऐसी कोई शक्ति प्राप्त है तो यह मनमानेपन का उदाहरण है। किसी भी स्थिति में, गुजरात राज्य चयन समिति की शक्ति को छीन नहीं सकता, और बदले में वैसा ही होना चाहिए इसका पालन नहीं किया जाना चाहिए। डिवीजन बेंच ने मामले के तथ्यों पर कानून को गलत तरीके से लागू करने में त्रुटि किया है । विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने अपीलार्थियों की ओर से निर्णय को उलटने का आदेश मांगते हुए निम्नलिखित निर्णयों का उद्धरण दिया ।

- तेज प्रकाश पाठक एवं अन्य बनाम राजस्थान उच्च न्यायालय एवं अन्य, (2013) 4 एस.सी.सी. 540;
- वीरेंद्र कुमार गौतम एवं अन्य बनाम करुणा निधान उपाध्याय एवं अन्य, (2016) 14 एस.सी.सी. 18;
- अनुपाल सिंह एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य, (2020) 2 एस.सी.सी. 173;
- अशोक कुमार ठाकुर बनाम भारत संघ एवं अन्य। (2008) 6 एस.सी.सी। 1.

20. प्रतिवादी संख्या 1 और 2 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता सुश्री अर्चना दवे पाठक, और निजी उत्तरदाताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री विकास सिंह के द्वारा कहा गया कि प्राप्त अंको के प्रकाशन के पूर्व क्या परिवर्तन किया गया था । चयन बाद में किया गया। जब तक चयन समिति को शक्ति

प्राप्त है, और उद्देश्य उचित है तब तक किसी भी हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं है। अपीलकर्ताओं के पास पद पर नियुक्ति होने का कोई निहित का अधिकार नहीं है। डिवीजन बेंच ने प्रतिवादी संख्या 1 और 2 का निर्णय जो एक नीतिगत निर्णय के रूप में था, को बरकरार रखते हुए कानूनी मुद्दों पर सही निर्धारण किया है। किसी को भी विशेष आरक्षण के पीछे उद्देश्य को भी देखना होगा। इसलिए इन अपीलों में हस्तक्षेप करने की किसी प्रकार की जरूरत नहीं है।

21. हमारे द्वारा पूछे गए एक प्रश्न पर, प्रतिवादी संख्या 1 और 2 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता सुश्री अर्चना दवे पाठक ने कहा कि यहाँ पर्याप्त पद उपलब्ध हैं और यदि कोई निर्देश जारी किया जाता है, तो या तो अपीलकर्ता या निजी उत्तरदाताओं पर विचार करके इसे प्रभावी बनाया जाएगा। यह भी अभिस्वीकृत किया गया कि रिक्तियों को भरने के लिए प्रत्येक उप-श्रेणी के आरक्षण के अनुरूप नियम बनाया गया है चाहे वह आरक्षण ऊर्ध्वाधर हो या क्षैतिज। दोनों पक्षों की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा कहा गया कि अपीलकर्ताओं और निजी उत्तरदाताओं के बीच मामला परस्पर वरिष्ठता का भी होगा जिसे बाद में किसी भी भ्रम से बचने के लिए विचार किया जाना चाहिए।

बहस:

22. हम उस भर्ती प्रक्रिया के मामले को देख रहा है, जहाँ प्रत्येक अलग-अलग श्रेणियों से संबंधित पद केवल एक ही माध्यम से भरा जाना है, अर्थात् लिखित परीक्षा। न्यूनतम अंक एक स्पष्ट स्पष्टीकरण के साथ तय किए गए हैं और किसी को भी सम्मिलित करने की सुविधा देकर इसमें छेड़छाड़ नहीं की जाएगी, यदि किसी अभ्यर्थी को कम अंक प्राप्त हुए हैं। यहाँ आवेदन करने की योग्यता और पात्रता के बीच चयन की प्रक्रिया निर्धारित किए जाने में एक अंतर है। वर्तमान मामले में, हमें आवेदन करने की योग्यता से कोई सरोकार नहीं है, बल्कि परीक्षा आयोजित होने के बाद, पात्रता से है।

23. वर्तमान मामले की एक और अनूठी विशेषता है कि चयन समिति ने क्षैतिज आरक्षण को ऊर्ध्वाधर आरक्षण मानकर सुविधा के लिए अंक कम कर दिए। बेशक, नियम ऐसे आरक्षण का प्रावधान नहीं करते जिसे ऊर्ध्वाधर आरक्षण के रूप में माना जाय। इसी तरह, नियम कोई कटऑफ तय नहीं करते। एक विज्ञापन, जो अधिसूचना के अनुसार जारी किया गया है पक्षकारों को बाध्य बनाता है। इसमें वैधानिक

निर्धारण के सभी गुण मौजूद होते हैं, जब तक कि यह किसी नियम या अधिनियम के विपरीत न हो। कोई परिवर्तन, यदि कोई हो, तो केवल एक संशोधन द्वारा लाया जा सकता है और इसके अलावे कुछ नहीं किया जा सकता है। ऐसा संशोधन भले ही अनुमान्य हो, परंतु इसे अनुच्छेद 14 की कसौटी पर परखा जा सकता है। इसे विशेष आरक्षण में प्रवेश देने के लिए प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, ऐसे मामले में जहां किसी अभ्यर्थी को किसी नीतिगत निर्णय के तहत विज्ञापन की शर्तों में कमी के कारण अधिकार प्राप्त हो जाता है, वहाँ क्षैतिज श्रेणी से किसी भी योग्य उम्मीदवार की अनुपस्थिति में किसी पद के लिए विचार किया जा सकता है।

24. यह सत्य है कि एक अभ्यर्थी के पास पद पर अंतर्निहित अधिकार नहीं हो सकता है यद्यपि कि कानूनन इसे सम्मिलित किए जाने के अधिकार के साथ भ्रमित नहीं किया जा सकता। ऐसा कानून जो किसी उम्मीदवार को पद पाने के लिए सक्षम बनाता हो, वह किस अन्य समूह के व्यक्तियों की सुविधा के लिए परिवर्तित नहीं किया जा सकता, क्योंकि अभ्यर्थी कानून के अनुसार विचार किये जाने के लिए निहित अधिकार रखता है, जैसा कि **एन.टी. डेविन कट्टी बनाम कर्नाटक लोक सेवा आयोग , (1990) 3 एस.सी.सी. 157**, में इस न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया था।

"11. प्रश्न का एक और पहलू भी है, जहां सीधी भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित करते हुए विज्ञापन जारी किया जाता है, और विज्ञापन स्पष्ट रूप से बताता है कि चयन मौजूदा नियमों या सरकारी आदेश के अनुसार किया जाएगा, और यदि आगे यह कि जब यह विभिन्न समूहों की आरक्षण सीमा को इंगित करता है, तब उम्मीदवारों का चयन मौजूदा नियम और सरकारी आदेश के अनुसार किया जाएगा। जो उम्मीदवार आवेदन करते हैं, और लिखित या मौखिक परीक्षा के दे देते हैं उन्हें विज्ञापन में निहित नियम एवं शर्तों के अनुरूप चयन के लिए निहित अधिकार प्राप्त कर लेते हैं, जब तक कि विज्ञापन अपने आप में कोई विपरीत आशया इंगित नहीं करता। आम तौर पर, एक उम्मीदवार के पास विज्ञापन की नियम एवं शर्तों के अनुसार विचार किये जाने का अधिकार प्राप्त होता है विज्ञापन प्रकाशित होने की तिथि से ही उसका अधिकार निश्चित हो जाता है, हालाँकि मामले में उसका कोई पूर्ण अधिकार नहीं होता। यदि चयन लंबित रहने के दौरान ही भर्ती नियमों में भूतलक्षीरूप से संशोधन किया जाता है, उस स्थिति में चयन अवश्य ही संशोधित नियमों के अनुसार ही किया जाना चाहिए। यद्यपि नियम का भूतलक्षी प्रभाव पड़ेगा या नहीं, यह मुख्य रूप से इस बात पर निर्भर करता है

कि नियमों की भाषा और इसकी संरचना सुनिश्चित करने के लिए विधायी मंशा क्या है। विधायी मंशा का पता या तो स्पष्ट प्रावधान द्वारा या आवश्यक निहितार्थ द्वारा लगाया जाता है; यदि संशोधित किये गये नियमों की प्रकृति भूतलक्षी नहीं है, तो विनियमित विज्ञापन की तिथि के समय जो नियम एवं आदेश थे उनके अनुसार चयन अवश्य होना चाहिए। प्रत्येक मामले में इस प्रश्न का निर्धारण काफी हद तक विज्ञापन के नियम और शर्तें तथा प्रासंगिक नियम और आदेश के तथ्यों पर निर्भर करता है। किसी प्रकार के भ्रम की स्थिति न हो, हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि एक उम्मीदवार को किसी पद के लिए विज्ञापन के अनुसरण में आवेदन करने पर चयन का कोई निहित अधिकार प्राप्त नहीं होता है, लेकिन यदि वह पात्र है और जैसे ही विज्ञापन में प्रासंगिक नियमों और शर्तों के अनुसार अहर्ता प्राप्त कर लेता है, वह वैसे ही विज्ञापन की तिथि पर मौजूदा नियमों के अनुसार चयन हेतु विचार किए जाने का निहित अधिकार प्राप्त कर लेता है। चयन के लंबित रहने के दौरान वह उस सीमित अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता जब तक कि संशोधित नियम भूतलक्षी प्रकृति के न हो।”

(इस बात पर बल दिया गया)

25. स्वीकारात्मक रूप से, मौजूदा मामले में, अपीलकर्ता इसके हकदार हैं कि जारी विज्ञापन के अनुसार संबंधित पद प्राप्त करें। उपर्युक्त विज्ञापन में संशोधन नहीं किया गया है। ऐसा लगता है कि इसमें सरकार कि सलाह पर संशोधन किया गया यद्यपि कि समान रूप से पहले ही निर्णय ले लिया गया था लेकिन समझदारी से वापस ले लिया गया। किसी विशेष श्रेणी के लिए कट-ऑफ अंक तय करने के पीछे एक तर्क दिया गया। इसे केवल विशिष्ट वर्ग को नौकरी देने के उद्देश्य के लिए कम करना, जबकि अन्य को पहले से ही कुछ अधिकार प्राप्त हैं, संविधान के अनुच्छेद 14 का अपमान होगा।

26. हम पहले ही विज्ञापन में निहित प्रासंगिक खंडों के दायरे और विस्तार पर चर्चा कर चुके हैं, विशेष रूप से उप-खंड (15) और 19)। हमारे विचार में, वे राज्य सरकार या चयन समिति को चयन प्रक्रिया को संशोधित करने के लिए बेलगाम शक्ति प्रदान नहीं करते हैं, और इस प्रकार, परिणाम के बाद कट-ऑफ अंक कम हो जाते हैं। निवेदन में कहा गया कि केवल चयन किया गया था इसके बाद वह कुछ नहीं रोकेगा। परिवर्तन के बाद, चयन सूची के प्रकाशन के माध्यम से क्या किया गया, यह एक मंत्रिस्तरीय कृत्य के अलावा और कुछ नहीं है।

27. हम इस न्यायालय के द्वारा *तमिलनाडु कंप्यूटर साइंस बी.एड. स्नातक शिक्षक कल्याण संस्था (1) बनाम कंप्यूटर शिक्षक एसोसिएशन उच्चतर माध्यमिक विद्यालय एवं अन्य, (2009) 14 एस.सी.सी. 517* में दिये गए फैसले के आधार पर कहना चाहते हैं कि,

20. इस प्रकार यह स्थापित हो गया है कि, राज्य सरकार ने कंप्यूटर प्रशिक्षक के पद के लिए न्यूनतम योग्यता कम करके 35% अंक कर दिया है जो कि पूर्व में 10-10-2006 को आयोजित एक बैठक में लिये गये निर्णय के विपरीत है जिसके अनुसार कंप्यूटर अनुदेशकों के पदों को भरने के लिए न्यूनतम योग्यता कुल 150 अंकों में से 50% अंक यानी 75 अंक तय किया गये था। इस प्रकार यह स्थापित होता है कि सरकार द्वारा चयन प्रक्रिया शुरू होने के बाद बीच में ही भर्ती के नियम तथा नियुक्ति के नियम व शर्तें बदल दीं गयीं। उक्त निर्णय रविवार यानि 12-10-2008 को ही लिया गया तत्पश्चात अभ्यर्थियों ने अपनी परीक्षा दे दी थी।

xxx

xxx

xxx

29. हालाँकि, उत्तरदाताओं की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने कहा चूंकि ये संविदा कर्मचारी बहुत लंबे समय से सरकारी स्कूल में काम कर रहे हैं, इसलिए, सरकार ने न्यूनतम अर्हता अंक कम करने का निर्णय लिया था, सरकार द्वारा यह देखने के लिए कि उनमें से कम से कम कुछ लोग विशेष भर्ती में अर्हता प्राप्त कर सकते हैं और भर्ती परीक्षा को उनके लिए शिथिल किया जा सकता है ताकि ऐसा न हो कि वे एक नियमित प्रक्रिया के माध्यम से सरकारी नौकरी प्राप्त करने से वंचित रह जायें।

30. यह भी प्रस्तुत किया गया कि 1714 उम्मीदवारों में से विशेष भर्ती लिखित परीक्षा में केवल 894 अभ्यर्थी ही 50% से अधिक अंक प्राप्त कर सके जबकि 906 अभ्यर्थियों ने 50% से कम अंक प्राप्त किया, जबकि सरकार द्वारा अपने पूर्व नीतिगत निर्णय में निर्धारित न्यूनतम योग्यता तय कर दिया गया था, लेकिन 35% से अधिक अंक प्राप्त किया गया था। परिणामस्वरूप, सरकार द्वारा अधिक लोगों को शामिल करने के लिए उक्त न्यूनतम योग्यता को कम करना उचित समझा गया और ये सोचा गया कि अंकों को घटाकर 35% किया जाना चाहिए, जबकि वे आज भी सरकारी स्कूलों में कम्प्यूटर प्रशिक्षक का काम कर रहे हैं।

31. पक्षकारों की ओर से उपस्थित अधिवक्ताओं, प्रस्तुत अभिलेखों के आलोक में हमने अपने समक्ष लाये गए उपरोक्त प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों पर विचार किया।

अभिलेखों से यह स्पष्ट रूप से स्थापित होता है कि एक बार अवसर देने के क्रम में एक विशेष भर्ती परीक्षा का आदेश चयन और भर्ती के लिए दिया गया था साथ-साथ मौजूदा कंप्यूटर प्रशिक्षक के समायोजन के लिए भी आयोजित किया जाना था। पर उक्त निर्णय उन मौजूदा कंप्यूटर प्रशिक्षकों के लिए जो बहुत लंबे समय से काम कर रहे थे सहानुभूतिपूर्वक विचार और न्याय करने के इरादे से लिया गया था। इस भर्ती अभियान में, भर्ती के नियम निर्धारित करके परीक्षा आयोजित की गई और सभी संबंधितों के लिए समान अवसर प्रदान किया गया।

32. उक्त परीक्षा के आयोजन से पहले दिशानिर्देश तैयार किए गए थे और एक नीतिगत निर्णय के माध्यम से उक्त परीक्षा में न्यूनतम मानदंड अर्हक अंक कम से कम 50% निर्धारित किए गए थे। भर्ती के दिशानिर्देश नीतिगत निर्णय के माध्यम से निर्धारित थे और सभी व्यावहारिक कार्यों के लिए उनका पालन करना आवश्यक था, भले ही हम मान लें कि सरकार कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के उक्त पदों पर विशेष भर्ती कर पूरी तरह भर सकती थी लेकिन भर्ती परीक्षा एक बार के अपवाद के रूप में थी।

33. हालाँकि, हम इसके बाद के निर्णय को नहीं रोक सकते, सरकार ने इस प्रकार परीक्षा के बाद और जिस समय परीक्षा के परिणाम की घोषणा की जानी थी योग्यता मानदंडों को न्यूनतम अर्हता अंक 50% से 35% तक कम करके इस प्रकार उक्त मानदंड को बदल दिया गया था, जैसा कि हम पाते हैं, खेल के अंत होने के कगार तक क्या यह उचित है, और हम पाते हैं कि यह मनमाना और अन्यायपूर्ण है। इस न्यायालय ने *हेमनी मल्होत्रा बनाम दिल्ली उच्च न्यायालय [(2008) 7 एस.सी.सी. 11: (2008) 2 एस.सी.सी. (एल. एंड एस.) 203]* में अभिनिर्धारित किया है कि भर्ती प्रक्रिया में खेल के नियमों में बदलाव चयन प्रक्रिया के दौरान या खेल खत्म होने पर लागू नहीं होते हैं।”

28. उपरोक्त निर्णय निश्चित रूप से इस मुद्दे को नियंत्रित करेगा, इसलिए, उपरोक्त मामले में डिवीजन बेंच का निर्णय वर्तमान मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होने के कारण पोषणीय नहीं है। दरअसल, हम जिस मामले से निपट रहे हैं, वह बेहतर स्थिति में दिखता है, जहां उपरोक्त मामले को नियंत्रित करने वाले तथ्यों के आधार पर, जिसमें चयन किया गया है प्रक्रिया पूरी भी नहीं हुई थी कि अंक कम करने का निर्णय ले लिया गया। खण्डपीठ यहाँ भी सही नहीं है जहां समन्वय पीठ के *प्रजापति ईश्वरभाई जोड़ताराम बनाम गुजरात राज्य, लेटेस पेटेंट अपील संख्या 1350/2012 दिनांक*

20.03.2013 के मामले का अनुसरण नहीं किया गया , जिसमें कट-ऑफ अंकों में कमी के मुद्दे पर क्षैतिज आरक्षण में समायोजित किये जाने का निर्णय दिया गया था ।

29. इस न्यायालय के द्वारा *के. मंजुश्री बनाम आंध्र प्रदेश राज्य और अन्य*, (2008) 3 एस.सी.सी. 512 के निर्णय के आधार पर पर बहुत सारे तर्क दिये गए हैं और *तेज प्रकाश पाठक बनाम राजस्थान उच्च न्यायालय* , (2013) 4 एस.सी.सी. 540 का मामला जो संविधान पीठ के समक्ष लंबित है । मामले के तथ्यों पर, हमें नहीं लगता कि उक्त मुद्दे का कोई भी मतलब है जैसा कि एक मामले *रामजीत सिंह कर्दम बनाम संजीव कुमार* , (2020) 20 एस.सी.सी. 209 में निपटारे के दौरान इस न्यायालय द्वारा मनमानपूर्ण मापदंड में बदलाव के लिए किया गया था,

क्या चयनमैन नीतिगत निर्णय लेने में सक्षम थे जैसा कि " चयन मानदंड" या "चयन का तरीका" था ?

51. ऊपर निकाली गई अधिसूचना के अनुसार जो आयोग है, वह "चयन का तरीका तैयार करेगा और इसके लिए मानदंड तय करेगा।" उक्त शक्ति का प्रयोग उचित तरीके से चयन के उद्देश्य और उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए निष्पक्ष तरीके से किया जाना चाहिए । भले ही तर्क के लिए यह मान लिया जाए कि आयोग समय-समय पर चयन के मानदंड बदल सकता है, लेकिन उक्त शक्ति का प्रयोग मनमाने तरीके से नहीं किया जाना चाहिए।

52. इस संदर्भ में हम इस न्यायालय के *तमिलनाडु कंप्यूटर साइंस बी.एड. स्नातक शिक्षक कल्याण संस्था (1) बनाम कंप्यूटर शिक्षक एसोसिएशन उच्चतर माध्यमिक विद्यालय एवं अन्य*, (2009) 14 एस.सी.सी. 517: (2010) 1 एस.सी.सी. (एल. एंड एस.) 367] के तीन जजों की बेंच के निर्णय का हवाला दे सकते हैं, उक्त मामले में विभिन्न स्कूलों के लिए कंप्यूटर अनुदेशकों की नियुक्ति संविदा के आधार पर की गयी थी । सरकार ने कंप्यूटर प्रशिक्षक के चयन के लिए शिक्षक भर्ती बोर्ड द्वारा एक विशेष परीक्षा आयोजन करने का निर्णय लिया । राज्य सरकार ने 10-10-2008 को निर्णय लिया कि न्यूनतम योग्यता अंक 50% होंगे। विशेष भर्ती परीक्षा 12-10-2008 को उद्घोषित की गई थी। 12-10-2008 की रात्रि को अभ्यर्थियों की सूची के आधार पर कंप्यूटर अनुदेशक के पद पर नियुक्ति हेतु विशेष भर्ती परीक्षा के आयोजन के लिए इंटरनेट पर डाला गया । उक्त अंक प्रकाशित करते हुए अभ्यर्थियों को यह स्पष्ट कर दिया गया कि जिन अभ्यर्थियों ने परीक्षा में 35% अंक सुरक्षित कर लिया है वे ही प्रमाणपत्र सत्यापन के लिए बुलाए जाएंगे। राज्य सरकार ने न्यूनतम अर्हता अंक घटाकर 35%कर दिये । इस

न्यायालय ने योग्यता अंकों में 50% से 35% तक कमी करने को मंजूरी नहीं दी । इसे निम्नलिखित पैरा 33 में निर्धारित किया गया था : (एस.सी.सी. पेज 523)

“ 33 . हालाँकि, हम इसके बाद के निर्णय को नहीं रोक सकते, सरकार ने इस प्रकार परीक्षा के बाद और जिस समय परीक्षा के परिणाम की घोषणा की जानी थी योग्यता मानदंडों को न्यूनतम अर्हता अंक 50% से 35% तक कम करके इस प्रकार उक्त मानदंड को बदल दिया गया था , जैसा कि हम पाते हैं, खेल के अंत होने के कगार तक क्या यह उचित है, और हम पाते हैं कि यह मनमाना और अन्यायपूर्ण है । इस न्यायालय ने *हेमनी मल्होत्रा बनाम दिल्ली उच्च न्यायालय* [(2008) 7 एस.सी.सी. 11: (2008) 2 एस.सी.सी. (एल. एंड एस.) 203] में अभिनिर्धारित किया है कि भर्ती प्रक्रिया में खेल के नियमों में बदलाव चयन प्रक्रिया के दौरान या खेल खत्म होने पर लागू नहीं होते हैं ।”

53. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता इस न्यायालय के समक्ष वृहद् खंडपीठ के निर्णय *तेज प्रकाश पाठक बनाम राजस्थान उच्च न्यायालय* [(2013) 4 एस.सी.सी. 540: (2013) 2 एस.सी.सी. (एल. एंड एस.) 353 का उल्लेख करते हुये कहा चयन के लिए निर्धारित मानदंड चयन के दौरान बदला नहीं जा सकता है , इसलिए इस न्यायालय का निर्णय निर्धारित किया गया है चयन के दौरान मानदंड नहीं बदले जा सकते जबकि अभी परीक्षा होना शेष है । वर्तमान मामले के प्रयोजनों के लिए हम भले ही यह मान भी ले कि समय-समय पर नियुक्ति निकाय द्वारा मानदंड बदले जा सकते हों लेकिन उक्त परिवर्तन मनमानेपूर्ण तरीके से प्रभावित नहीं कर सकता । वर्तमान मामला ऐसा है जहां मानदंडों में बदलाव किए जाने से प्रभाव पड़ा है और परिवर्तन मनमाने ढंग से किया गया है जिसका उद्देश्य चयन के मानकों को कम करने के लिए किया गया है न कि उन्नत करने के लिए । उच्च न्यायालय ने बदलाव को बरकरार न रखकर कोई गलती नहीं की है, क्योंकि चयन प्रक्रिया शुरू होने के बाद प्रभावी मानदंड लागू होंगे, यह पाते हुए हम पूरी तरह से सहमत हैं।”

30. कट-ऑफ अंक कम करने का निर्णय उद्देश्यीय मानदंड पर आधारित नहीं है, अर्थात्, पद के लिए उम्मीदवार की उपयुक्तता, लेकिन किसी बाहरी कारण से, यानि अन्यथा अपात्र उम्मीदवार को समायोजित करने के लिए। दूसरे शब्दों में, पूर्व में, पद के लिए पात्र होने के लिए आवश्यक अंकों पर सचेत विचार करके कट-ऑफ अंक निर्धारित किए गए थे, जिसे कम नहीं किया जा सकता था , जब तक कि कोई ठोस कारण न हो कि कम अंक भी उस पद के लिए उपयुक्त होने के लिए पर्याप्त होंगे ।

31. अतः कानून की नजर में गुजरात उच्च न्यायालय के खंडपीठ का आदेश पोषणीय नहीं हो सकता, यह न्यायालय अनुच्छेद 142 के तहत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करके साम्यता और न्याय को संतुलित करने के लिए इच्छुक है। इस निर्णय के पीछे का उद्देश्य निजी प्रतिवादियों के विशेष वर्ग जिनमें महिलाएँ, भूतपूर्व सैनिक और शारीरिक रूप से विकलांग भी शामिल हैं, के लिए प्रशंसनीय है। वे आशा के साथ लंबे अरसे से अपनी नियुक्तियों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। खंडपीठ का आदेश उनके लाभ के लिए था जो राज्य सरकार और चयन समिति के नीतिगत निर्णय कारण हुआ था। इस प्रकार, हम पाते हैं कि उक्त निवेदन मामले के गुणावगुण के योग्य है, इससे पहले कि हम चिंतित हों कम से कम जहाँ तक निजी उत्तरदाताओं का सवाल है, अन्य लोग भी जो इसी तरह का दावा करते हैं उन्हें समान लाभ नहीं दिया जा सकता। संभवतः, वे भी या तो आगे बढ़ जाएंगे या उन्हें कोई अन्य नौकरियाँ मिल जाएंगी।

32. ऐसे में मामले को ध्यान में रखते हुए, इस वाद के अजीबोगरीब तथ्यों पर विचार करते हुये, विशेष रूप से हमारे निष्कर्ष के आलोक में जो कि प्रतिवादी संख्या 1 एवं 2 द्वारा इस स्थिति को सामने लाया गया है तथा जो रिक्तियाँ अभी भी शेष हैं उनके संबंध में निर्देश जारी कर उन्हें समायोजित करने पर विचार करने के लिए कहा गया है, बशर्ते उनकी नियुक्ति अनुमेय बनाये गये संबंधित आरक्षित श्रेणी के प्रतिशत से अधिक न हों और बिना हेरफेर किए अपीलकर्ताओं तथा समान रूप से रखे गए अन्य लोगों की नियुक्ति और उनकी पात्रता के अधीन हो। परस्पर वरिष्ठता के प्रश्न के क्रम पर, हमें अधिक गहराई में जाने की आवश्यकता नहीं है, खंडपीठ का आदेश अपास्त किया जाता है, और इसलिए निजी उत्तरदातागण निश्चित रूप से नए प्रवेशकर्ता हैं अतः वे प्राथमिकता नहीं हो सकते। अपील स्वीकृत की जाती है। कोई आदेश शुल्क पर नहीं है।

33. सभी लंबित आवेदनों का निस्तारण किया जाता है।

दिव्या पांडे

अपील स्वीकृत।

(सहायककर्त्ता: अर्जुन नारंग और रूपांशी विरंग, एल.सी.आर.ए.)

कुशेश्वर सिंक्

मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, जामताड़ा